भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1616

जिसका उत्तर 30 जुलाई, 2025 को दिया जाना है

असम में रैट-होल कोयला खनन दुर्घटना

1616. मोहम्मद रकीबुल हुसैनः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनवरी 2025 में असम के दीमा हसाओ जिले में हुई रैट-होल कोयला खनन दुर्घटना का ब्यौरा क्या है तथा इसमें हताहत हुए व्यक्तियों की संख्या कितनी है और बचाव कार्य की समय-सीमा क्या है;

(ख) क्या सरकार को उक्त जाँच को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को अंतरित करने के लिए कोई अनुरोध या सिफ़ारिशें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा और स्थिति क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा विनियामक विफलता में दोषी पाए गए सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने और असम के कोयला खनन क्षेत्रों में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) : असम के दीमा हसाओ जिले के उमरंगसो पुलिस स्टेशन के अंतर्गत कलामती में दिनांक 06/01/2025 को एक दुखद खनन घटना हुई। कोयला निकालने के लिए अविनिर्दिष्ट संख्या में खान कामगार अवैध रैट होल खदान के एक गहरे कुएं के अंदर थे, जब अचानक अंदर पानी प्रवाहित हो गया और कुएं में पानी भर गया। कुछ खान कामगार बाहर निकलने में कामयाब रहे जबकि उनमें से नौ अंदर ही फंस गए। राज्य सरकार ने तुरंत कार्रवाई की और कई केन्द्रीय

और राज्य एजेंसियों को शामिल कर तत्काल बचाव अभियान शुरू किया गया। अभियान दिनांक 10.01.2025 को शुरू किया गया था और दिनांक 20.02.2025 को पूरा किया गया था। शुरू में 4 शव बरामद किए गए थे और 44 दिनों के लंबे कठिन बचाव अभियान के बाद 21 फरवरी, 2025 को 5 खान कामगारों के पार्थिव अवशेष बरामद किए गए थे।

(ख) और (ग) : अवैध खनन मुख्य रूप से कानून और व्यवस्था का मुद्दा है, जो संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में है। खान और खनिज (विनियम और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 21(1) के साथ पठित भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 3(5)/105 के तहत दिनांक 07/01/2025 को घटना की प्राथमिकी दर्ज की गई और तहकीकात की गई। अब तक कुल 12 (बारह) अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और विधि के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जा रही है। असम के पुलिस महानिदेशक द्वारा एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया था। एसआईटी ने मामले की जांच की और 05.03.2025 को अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए। इसके अतिरिक्त, कार्यकारी मजिस्ट्रेटों, पुलिस अधिकारियों और असम खनिज विकास निगम (एएमडीसी) के अधिकारियों को शामिल करते हुए एक बहु-एजेंसी दल का गठन किया गया है ताकि ऐसी सभी अवैध खानों को चिन्हित किया जा सके और उन्हें बंद करके, सील और नष्ट किया जा सके।

(घ): उमरंगसो खान त्रासदी की घटना की जांच करने और संबंधित अधिकारियों, व्यक्तियों, खनन कंपनियों और संस्थानों की जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति अनिमा हजारिका की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया गया है।

सुरक्षित और संरक्षित खनन तथा अवैध/पिट/रैट होल कोयला खनन के नियंत्रण के लिए असम सरकार द्वारा 24 जून, 2005 को एक मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गई है।

राज्य सरकार ने राज्य में रैट होल खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। जिला प्रशासन द्वारा जिला स्तरीय कार्यबल के माध्यम से रैट-होल खान पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। दीमा हसाओ के उमरंगसो क्षेत्र में अब तक 249 रैट-होल खानों को सील किया गया है।

******